सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

<u>अपील संख्याः 03 / 17</u> निर्णय दिनांक–3.04.2018

1. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु. कोलायत।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मांगीलाल पुत्र फूलाराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम जेगलां गोगलियान तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. फूलाराम पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी जेगला गोगलियान हाल डी–3 पटले नगर, बीकानेर।
3. मैनेजर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन्टरप्राईजेज, एसबीटीसी गुड़ा कार्यालय करनीनगर, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय दिनांक 19–08–2016
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक
2. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री फूलाराम बिश्नोई, रेस्पोडेन्ट स्वयं।

–निर्णय–

1. स्टेट ने यह अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 19–08–2016 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्रार्थना पत्र जरिये विड्रावल खारिज किया गर्या, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–08–2016 जरिये विड्रावल प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा के खसरा नम्बर 39 में तादादी 25 बीघा का दिनांक 06–07–1974 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन नाबालिग होने के कारण निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई थी। इस संबंध में अदालत मातहत के समक्ष समस्त तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये थे फिर भी अदालत मातहत द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं करते हुए मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए प्रार्थना पत्र जरिये विड्रावल खारिज करते हुए निर्णित कर दिया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे बताया कि अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्वतः साबित था कि आवंटन की दिनांक को आवंटी अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग था तथा आवंटी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन का कतई पात्र नहीं था।

उक्त आवंटित भूमि की खातेदारी प्रदान किये जाने में भी घोर लापरवाही एवं अनियमितता व्यक्त की गई है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों एवं कानूनी पहलूओं को नजर अंदाज करते हुए प्रकरण का निस्तारण में अवैद्य आवंटन एवं अनियमित खातेदारी को निरस्त न करते हुए मात्र प्रकरण को जरिये विड्रावल खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई है तथा आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 को इसकी एवज में 26 लाख रूपये का अवार्ड प्रदान किया गया है। जब अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन ही अपने आप में निरस्त योग्य है तो ऐसी स्थिति में उक्त भुगतान की गई राशि आवंटन निरस्त होने पर वसूली योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राज्य जोकि 14(4) के प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होता है, पक्षकार नहीं बनाया गया ना ही राज्य पक्ष को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सुना गया। अदालत मातहत द्वारा विड्रावल प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया है जबकि नियम 14(4) के तहत विड्रावल का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि ऐसे प्रार्थना पत्र शिकायत की श्रेणी में आता है तथा शिकायतकर्ता को विड्रा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते निर्णय निर्धारित था ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए था ना कि जरिये विड्रावल प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए था।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी स्थितियों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः स्टेट की अपील स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दिनांक 06—07—1974 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि की अवाप्ति पर भुगतान की गई राशि अप्रार्थी संख्या 1 से वसूल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि ग्राम गुड़ा के खसरा नम्बर 39 की 35 बीघा आवंटन पूर्णतया विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आवंटन के समय बालिक व्यस्क था तथा सद्भावी कृषक रहा है इसलिए जैर प्रार्थना पत्र बाबत् रकबा आवंटन नियमों की पूर्णतया पालना करके की पात्रता के आधार पर विधि सम्मत है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आपसी रंजिश के कारण आवंटन के करीब 40 वर्ष उपरान्त झूठी कहानी बनाकर शिकायती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र की पूर्ण जॉच के उपरान्त ही आवंटन पट्टा जारी किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रकबा खातेदारी में दर्ज किया जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् करीब 40 वर्ष उपरान्त एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन खारिज करने की इस्तदुआ की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर एवं साम्य न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वतः शून्य होने के कारण खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बेजा नुकसान पहुॅचाने की नियत मात्र से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन अब 40 वर्ष उपरान्त मात्र एक शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। यदि वह वास्तव में कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहता है तो विधि अनुसार दावा/अपील व रिट के माध्यम से हासिल कर सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में मुख्य आरोप यह कारित किया गया है कि आवंटन कर दिनांक को वह नाबालिग था ऐसी स्थिति में उसे यह आवंटन नहीं किया जा सकता। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की जन्म तिथि 05—04—1954 है, अर्थात आवंटन दिनांक को वह पूर्ण रूप से बालिक व्यस्क था, व इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुसार व वैद्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष विड्रा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत विड्रा प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रावल खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में जब शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र को विड्रा कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में इस अपील का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः स्टेट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजसथान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1970) बाबत् आवंटन आदेश पट्टा संख्या 709 दिनांक 06—07—1974 उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के द्वारा किये गये अवैद्य आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में यह शिकायत अंकित की गई थी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा में खसरा नम्बर 30 में 25 बीघा भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किया गया है क्योंकि आवंटन दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग(अव्यस्क) था तथा उसकी आयु तत्समय 8 से 10 वर्ष के बीच थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तत्समय आवंटन का पात्र नहीं था। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन की विधि विरूद्व था तो उक्त आवंटन के पश्चात् की समस्त पश्चात्वर्ती कार्यवाही स्वमेव शून्य एब ईनिशियो वॉयड कार्यवाहियॉ है।

उन्होंने अपनी बहस में आगे बताया कि चूंकि मामल राजहित से जुड़ा हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटित भूमि अवाप्त किये जाने के फलस्वरूप 26 लाख रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है उक्त भुगतान भी विधि विरूद्व होने से वसूली योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष विड्रा प्रार्थना पत्र इस आधार पर लगाया गया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अधीन सेवारत रहा है और सम्बन्ध भी मधुर रहे है। ऐसी स्थिति में पीठासीन

अधिकारी को धर्मसंकट व दुविधा जनक स्थिति से राहत हेतु यह प्रकरण विड्रा करना ही विकल्प है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए विड्रावल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर उक्त आवंटन करवाया गया है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को निरस्त करते हुए वादगत् भूमि के बाबत् अवाप्त शुदा भूमि के संबंध में भुगतान की गई राशि रूपये 26 लाख के वसूली के आदेश जारी करावें।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1970) बाबत् आवंटन आदेश पट्टा संख्या 709 दिनांक 06–07–1974 उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के द्वारा किये गये अवैद्य आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में यह शिकायत अंकित की गई थी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा में खसरा नम्बर 30 में 25 बीघा भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किया गया है क्योंकि आवंटन दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग (अव्यस्क) था तथा उसकी आयु तत्समय 8 से 10 वर्ष के बीच थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तत्समय आवंटन का पात्र नहीं था।

(2) तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वमेव द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थिति होकर उक्त शिकायती प्रार्थना को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विड्रा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र जरिये विड्रावल खारिज किया गया है।

(3) उक्त विड्रावल के विरूद्व राज्य द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 06—07—1974 को खसरा नम्बर 39 में 25 बीघा भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किया गया है क्योंकि तत्समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अव्यस्क (नाबालिग) था।

(4) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि प्रकरण को पुनः नियमित पेशी में लेकर न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रकरण का निस्तारण शीध्रातिशीध्र किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

(5) अदालत मातहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेशों की मंशा के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रावल खारिज किया गया है जोकि स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व आदेश है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वह उनके समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए विधि अनुसार निस्तारण करें।

(6) प्रकरण में जब अदालत मातहत के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत् भूमि के आवंटन दिनांक 06—07—1974 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच करते हुए, क्या आवंटन दिनांक को प्रार्थी अव्यस्क था अथवा नहीं? क्या अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विपरीत जाकर वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है अथवा नहीं?, क्या शिकायती प्रार्थना पत्र के

आधार पर उक्त आवंटन को निरस्त किया जा सकता है अथवा नहीं?, प्रस्तुत मामलें में राज्य पक्ष की सुनवाई की जानी भी अपरिहार्य है।

अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए व जिला कलेक्टर, बीकानेर जिनके द्वारा अपने आदेश क्रमांक सीबी/कोर्ट/16/1643 दिनांक 06–07–2016 के द्वारा इस निर्देश के साथ प्रकरण ''अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया था कि वे प्रार्थना पत्र को नियमित पेशी में लेकर न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रकरण का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जावे।'' की मंशा के विपरीत जाकर उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रावल खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

(7) अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि के विपरीत व उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की मंशा के विपरीत होने से उक्त आदेश को पुष्टि योग्य आदेश नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की स्टेट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–08–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रकरण की गुणावगुण पर सुनवाई करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर